न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–560 सन् 2005

उमा रमन दास.....वादी

बनाम

भरत राय व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 02.03.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.08.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में निवेदन है कि प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा दिनांक 06.06.2017 को लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट के साथ 1. बैनामा दिनांक 28.09.2005 मु0 उर्मिला कुंअर बनाम सुनील चौधरी की सच्ची प्रतिलिपि 2. बैनामा दिनांक 19.09.2005 कृष्ण कुमार दास बनाम भरत राय की सच्ची प्रतिलिपि 3. बैनामा दिनांक 27.09.2005 कृष्ण कुमार दास बनाम भरत राय वगैरह की सच्ची प्रतिलिपि 4. बैनामा दिनांक 19.09.2005 कृष्ण कुमार दास बनाम भरत राय वगैरह की सच्ची प्रतिलिपि। हाल सर्वे खतियान खाता सं0– 629, 630, 326, 429, 10, 252(7 फर्द) दाखिल की गई है। जो मौजा शीतलपुर वो बस्ती जलाल से संबंधित है। वादी द्वारा दाखिल उक्त सभी दस्तावेज एवं खतियान सच्ची प्रतिलिपि है, जो लाक दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज एवं खतियान का प्रदर्श मार्क नहीं हो पाया है। अतः निवेदन है कि उपर्युक्त दस्तावेज एवं खतियान को प्रदर्श मार्क करने की अनुमति दी जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर

दिनांक 14.09.2021 को दाखिल किया गया। जिसमें प्रतिवादी का कथन है कि वादी ने जिन बैनामा दस्तावेजों की सच्ची प्रतिलिपि को प्रदर्श अंकित कराना चाहते हैं। उनका इस वाद से क्या सुसंगतता है उसको स्पष्ट नहीं किया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु नियत है। वादी की ओर से जिन दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने हेतु निवेदन किया गया है वे सभी बैनामा दस्तावेज और खतियान लोक दस्तावेज है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.08.2021 को स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करें।

वाद दिनांक 25.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।